

23-9-21

पतावली पेश हुई आधेवक्ता प्राची/अप्राची
एवं प्राची/अप्राची स्वयं अनुपस्थित। न्यायकक्ष
समय में वरु-व्य उपास्थिति हेतु आवधि
करवाई गई फिर भी ना-दी आधेवक्ता प्राची
एवं अप्राची और ना-दी प्राची एवं अप्राची स्वयं
उपस्थित हुए। अतः प्राची का प्रथम पक्ष
अवगत आदेश 09 नियम 03 सी.सी.सी. के
तहत त्वारिज किया जाता है। आदेश खुले
व्यापक में सुनाया गया। पतावली के सल
सुमार दोषदा दायित्व दस्ता है अर्थात् सकारण

